रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 8, 2000/फाल्गुन 18, 1921
No. 149] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 8, 2000/PHALGUNA 18, 1921

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2000

का. आ. 203 (अ).— अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम-1956 (1956 का 33) की धारा 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अन्तर्राज्यीय जल विवाद नियम, 1959 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों को अन्तर्राज्यीय जल विवाद (संशोधन) नियम, 2000 कहा जाए ।

(2) ये नियम पहली जनवरी,1996 से लागू समझे जायेंगे ।

2. अन्तर्राज्यीय जल विवाद नियम, 1959 के नियम-6 में -

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"(1) उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, का अधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में व्यतीत किया गया समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा स्थितियाँ) अधिनियम 1958 (1958 का 41) के खंड (2) की धारा (ख) की उपधारा (i) अथवा समय-समय पर संशोधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा स्थितियां) अधिनियम 1954 (1954 का 28) जैसा भी मामला हो के खंड 2 की धारा (ग) की उप धारा (i) के साथ गठित संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग (घ) के पैरा ।। (ख) (i) के अभिप्राय में वास्तविक सेवा के रूप में गणना की जायेगी तथा तद्नुसार वह निरन्तर उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, जैसा भी मामला हो, देय भुगतान प्राप्त करता रहेगा ।

§ख§ उप नियम §2§ के पैरा 1 में "सेवानिवृत्ति से पहले उनके द्वारा लिया गया अन्तिम वेतन" नामक शब्दों के स्थान पर अग्रलिखित शब्द व्यवहृत किये जाऐंगे - "वित्त मंत्रालय §व्यय विभाग§ के समय-समय पर संशोधित 12 अगस्त, 1999 के का0 ज्ञा0 सं0 19047/4/99-ई-IV के अनुसार वेतन नियत किया जायेगा ।"

§ग§ उप नियम §2§ के पैरा §2§ में "दो हजार पाँच सौ रूपये के भत्ते" नामक शब्दों के स्थान पर "ऐसे भत्ते जो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीशों को स्वीकार्य हैं, जैसा भी मामला हो", नामक वाक्यांश व्यवहृत किया जायेगा ।

§घ§ उप नियम §4§ के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम व्यवहृत किया जाएगा अर्थात:-

"सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी होने के कारण, अधिकरण द्वारा 1·1·96 को अथवा उससे पहले पूर्ण कालिक मूल्यांकनकर्त्ता के रूप में नियुक्त होने पर उस व्यक्ति को कार्मिक, शिकायत और पेंशन मंत्रालय §कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग§ के समय-समय पर संशोधित 19·11·1997 के का0 ज्ञा0 सं0 3/12/97 स्था0 §वेतन ।।§ के अनुसार यथा स्वीकार्य वेतन दिया जायेगा बशर्ते कि यह वेतन 26,000/- रूपये प्रति माह से अधिक न हो । वे कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को यथा स्वीकार्य अन्य भत्ते और अन्य लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

अधिकरण द्वारा 1·1·1996 के बाद पूर्णकालिक मूल्यांकन कर्त्ता के रूप में नियुक्त व्यक्ति को सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी होने के कारण ऐसा वेतन दिया जायेगा जो उनकी पेंशन और पेंशन के समकक्ष अथवा किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति लाभ को मिलाकर उनकी सेवानिवृत्ति से पहले उनके द्वारा प्राप्त किए गये अन्तिम वेतन अथवा 26000/- रूपये से अधिक नहीं होगा, जो भी कम हो । वे कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों को यथा स्वीकार्य ऐसे भत्ते और अन्य लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे ।"

§ड·§ उप नियम §5§ में, "8000 रू0" शब्दों और अंकों के स्थान पर "26000 रू0" शब्द और अंक व्यवहृत किये जायेंगे ।

[फा. सं. 1/6/98-बे. प्र.]

जफरूल हसन, सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन.—चूंकि 1·1·96 से लागू हुई पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर नियमों को संशोधित किया जा रहा है । इसलिए यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना के पिछली तारीख से प्रभावी होने के कारण इससे अन्य किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं हैं ।

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2000

S. O. 203 (E).—In exercise of the power conferred by section 13 of the Inter-State Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) the Central Government, after consultation with the State Governments, hereby, makes the following amendments to Inter State Water Disputes Rules, 1959, namely :-

(1) - These rules may be called the Inter - State Water Disputes (Amendment) Rules, 2000.

(2) - They shall be deemed to have come into force on the t day of January, 1996.

2. In rule 6 of the Inter - State Water Disputes Rules, 1959 -

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(1) The time spent by the Chairman or a Member of a Tribunal who is a Judge of the Supreme Court or a High Court, shall count as actual service within the meaning of paragraph 11 (b)(i) of the part D of the Second Schedule to the Constitution read with sub-clause (i) of clause (b) of section 2 of the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Services) Act, 1958 (41 of 1958) or sub-clause (i) of clause (c) of section 2 of the High Court Judges (Salaries and conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954), as amended from time to time, and accordingly he will continue to draw the remuneration as admissible to him as a Judge of the Supreme Court or of a High Court, as the case may be.";

(b) in para 1 of sub-rule (2), for the words " the last pay drawn by him before retirement ", the words " the pay which shall be fixed in accordance with the Ministry of Finance (Deptt. of Expenditure) office memo no.19047/4/99-E-IV dated August, 12, 1999 as amended from time to time ", shall be substituted;

(c) in para 2 of sub-rule (2) for the words " an allowance of two thousand and five hundred rupees", the words "such allowance as is admissible to the serving Judges of the Supreme Court or of a High Court as the case may be ", shall be substituted ;

(d) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted namely :-

" A person, being a retired Government servant appointed as a whole-time Assessor by a Tribunal, on or before 1.1.1996 shall be paid such salary as admissible in terms of Ministry of Personnel, P.G. and Pension (Deptt. of Personnel & Training

O.M. No.3/12/97-Estt. (Pay-II) dated 19.11.1997, as amended from time to time provided that such salary shall not exceed Rs. 26,000 per mensem. He shall be entitled to draw such allowances and other benefits as are admissible to a serving Government servant.

A person being a retired Government servant appointed as a whole-time Assessor by a Tribunal after 1.1.1996 shall be paid such salary which, together with his pension and pension equivalent or any other form of retirement benefit, shall not exceed the last pay drawn by him before retirement or Rs. 26000/- whichever is less. He shall be entitled to draw such allowances and other benefits as are admissible to a serving Government servant."

(e) in sub-rule (5), for the word and figures " Rs. 8000/-" , the word and figures " Rs. 26000/-", shall be substituted.

[F. No. 1/6/98-BM]

Z. HASAN, Secy.

Explanatory Memorandum.—

Since the rules are being amended on the basis of the recommendations of the Fifth Pay Commission report which came into force w.e.f. 1.1.1996, therefore, it is certified that no other person is likely to be adversely effected by this notification being given retrospective effect.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2000